

U-268/85

(PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II SECTION 3 (i)
ON 4-8-1984 UNDER G.S.R. No. 826)

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF STEEL & MINES/ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA
DEPARTMENT OF MINES/ KHAN VIBHAG

.....

New Delhi, the 17th July, 1984.

C O R R I G E N D U M

G.S.R. No. 826: In the Mineral Concession
(Amendment) Rules, 1983, published with the notification
of the Government of India, Ministry of Steel and Mines
(Department of Mines) No. G.S.R. 296, dated the 18th March,
1983, in the Gazette of India, Part II Section 3
Sub-Section (i), dated the 9th April, 1983, -

1. in sub-rule (2) of rule 2, for '(o)' and '(p)'
read '(n)' and '(o)' respectively.

sd/-

(Durgadas Gupta)
Deputy Secretary to the Govt. of India.
File No. 6(9)/78-M.VI

To
The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
New Delhi.

भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3११ में दिनांक 4-8-1984
को सा०का०नि० संख्या 826 के रूप में प्रकाशित

भारत सरकार
इस्पात और खान मन्त्रालय
खान विभाग

नई दिल्ली, दि० 17 जुलाई, 1984

शुद्धिपत्र

सा०का०नि० 826: दिनांक 9 अप्रैल, 1983के भारत के राजपत्र के भाग II-
खण्ड 3-उपखण्ड १११ में इस्पात और खान मन्त्रालय {खान विभाग} की
दिनांक 18 मार्च, 1983 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 296 के साथ
प्रकाशित खनिज रियायत {संशोधन} नियमावली, 1983 में,-

1. नियम 2 के उप नियम १2१ में "ओ" तथा "पी" के
लिए क्रमशः "एन" तथा "ओ" पढ़ा जाए।

ह०/-

{दुर्गादास गुप्त}
उप सचिव, भारत सरकार
फाइल संख्या 6१२१/78-खान 6

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार प्रेस,
मायापुरी इन्डस्ट्रियल एरिया,
नई दिल्ली।